सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस का संगम ज्ञापन
(सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण)

(113)

....

(1) <u>नाम</u>

इस सोसाइटी का नाम "सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस" होगा, जिसे एतद्पश्चात् "सेन्टर" के रूप में संदर्भित किया गया है।

(2) <u>पंजीकृत/कार्यालय</u>

सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस का पंजीकृत कार्यालय संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित होगा।

(3) <u>उद्देश्य</u>

जिन मुख्य उद्देश्यों के लिए सेन्टर की स्थापना की गयी है, वे निम्नलिखित हैं :-

3.1 संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ में प्रसिद्ध प्रतिष्ठान के रूप में पहले से ही क्रियाशील सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस के सम्पूर्ण उपक्रम, जिसके अन्तर्गत इसकी समस्त आस्तियां, दायित्व, बाध्यतायें, आय, अधिकार, विशेषाधिकार, संविदा व उक्त सेन्टर के प्रचालन से सम्बन्धित आबन्धं भी हैं ; को ग्रहण करना ;

3.2 स्नायुतंत्र के रोग एवं विकार, मानव व्यवहार और जैविक एवं नैदानिक उपयोग की ओर जाने वाले रासायनिक पहलुओं से जुड़े आधारभूत और नैदानिक विज्ञान में उच्च क्षमता के अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना, सहायता करना, उसे प्रोन्नत करना, विकास करना, उसमें मार्गदर्शन करना और समन्वय करना तथा इस अग्रणी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर यथेष्ट मानव संसाधन का भी विकास करना ;

3.3 इस सेन्टर को राष्ट्र में जैव चिकित्सीय और अन्तर विषय अनुसंधान एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शीर्ष सेन्टर के रूप में विकसित करना और अन्य संस्थाओं, अभिकरणों और उद्योगों को परामर्श सेवा उपलब्ध कराना ;

3.4 सेन्टर और आधारभूत पहलुओं से लेकर मानव व्यवहार तक आणविक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संस्थाओं, निकायों,अभिकरणों के मध्य प्रभावी संयोजन, सहयोग एवं सम्बद्धता को प्रोन्नत, प्रोत्साहित एवं सम्बर्द्धित करना ;

3.5 इस सेन्टर के उद्देश्यों की दक्षतापूर्ण प्राप्ति के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों की सेवा हेतु एक या उससे अधिक सैटलाइट केन्द्रों की स्थापना करना ;

3.6 आंकड़े और सूचना को एकत्र करना, सम्मिलित करना, प्रकाशित करना तथा वैज्ञानिक समुदाय में प्रचारित करना ;

3.7 अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को संचालित करने के लिए अत्याधुनिक (State-of-the-art) सुविधाओं एवं डाटाबेस की स्थापना करना, उनका प्रचालन

h

करना एवं अनुरक्षण करना एवं पूरे देश एवं विदेश से ऐसी सुविधायें एवं डाटाबेस वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराना ;

3.8 ज्ञान की ऐसी अन्य शाखाओं में, जिन्हें सेन्टर समझे, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ;

3.9 विधा के अभिवर्धन एवं ज्ञान के प्रसार के लिए उन्नत अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना ;

3.10 सोसाइटी के विकास में योगदान करने के लिए बहिर्विश्वविद्यालयी अध्ययन, प्रस्तार कार्यक्रमों एवं क्षेत्र से बाहर के भी कार्यकलापों को प्रारम्भ करना ;

3.11 जैविक, भौतिक, रसायनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और नैदानिक पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसंधान प्रशिक्षण, परामर्श या मार्गदर्शन की सेवायें प्रदान करने में प्रोत्साहन प्रदान करना, विकास करना, सहयोग प्रदान करना या अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करना ;

3.12 ऐसे अन्य समस्त कार्य व कृत्य करना, जो सेन्टर के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक या वांछित हों।

प्रबंध समिति के वर्तमान सदस्यों, जिन्हें सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा-2 की अपेक्षानुसार सोसाइटी का प्रबंध सौंपा गया है, के नाम, पते, व्यवसाय और पदनाम निम्न प्रकार हैं :-

क्रम सं0	नाम	पता	व्यवसाय	पदनाम
1	श्री प्रशान्त त्रिवेदी	विकास भवन, लखनऊ।	सचिव, उ0प्र0 सरकार	अध्यक्ष
2	प्रोफेसर महेन्द्र भण्डारी	के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	कुलपति	सदस्य
3	प्रोफेसर रामचरन त्रिपाठी	जी0बी0 पन्त सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद।	निदेशक	सदस्य
4	प्रोफेसर सर्वज्ञ सिंह कटियार	सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।	कुलपति	सदस्य
5	प्रोफेसर डी0एस0 चौहान	यू0पी0टी0यू0, लखनऊ।	कुलपति	सदस्य
6	डा0 करतार सिंह	एस0जी0पी0जी0आई0 एम0एस0, लखनऊ	निदेशक	सदस्य
7	प्रोफेसर चुन्नीलाल खेत्रपाल	सी0बी0एम0आर0, एस0जी0पी0जी0आई0 एम0एस0, लखनऊ	प्रतिष्ठित प्रोफेसर	सदस्य सचिव

हम अधोहस्ताक्षरी इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 'बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सोसाइटी' नामक एक सोसाइटी गठित करने के इच्छुक हैं :-

(111)

क्रम सं0	नाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री प्रशान्त त्रिवेदी, पुत्र श्री ओ0एन0 त्रिवेदी	उ0प्र0 सचिवालय	सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सरकार	
2	प्रोफेसर महेन्द्र भण्डारी पुत्र (स्वर्गीय) श्री श्याम बिहारी चन्द्र	के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	कुलपति	
3	प्रोफेसर सर्वज्ञ सिंह कटियार, पुत्र (स्वर्गीय) श्री शिवनारायन	सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर।	कुलपति	
4	प्रोफेसर राम चरन त्रिपाठी, पुत्र (स्वर्गीय) श्री राम सरन शास्त्री	जी0बी0 पन्त सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद।	निदेशक	
5	प्रोफेसर भूमित्र देव, पुत्र (स्वर्गीय) श्री भूदेव शर्मा	प्लाट नं0-53 शक्तिनगर, लखनऊ	प्रख्यात वैज्ञानिक	
6	डा0 नित्यानंद, पुत्र (स्वर्गीय) श्री बाल मुकुंद	बी0-62, निरालानगर, लखनऊ।	प्रख्यात वैज्ञानिक	
7	प्रोफेसर चुन्नीलाल खेत्रपाल, पुत्र (स्वर्गीय) श्री देशराज खेत्रपाल	एस0जी0पी0जी0आई0 एम0एस0 कैम्पस, लखनऊ	प्रतिष्ठित प्रोफेसर	

सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस की नियमावली
(सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक सोसाइटी)

(1) <u>नाम</u>

यह नियमावली "सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस की नियमावली" (नियमावली) कही जायेगी।

(2) <u>सेन्टर का पंजीकृत कार्यालय</u>

सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस का पंजीकृत कार्यालय संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, उ0प्र0 में स्थित होगा।

(3) <u>परिभाषायें</u>

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, निम्नलिखित पदों के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं :-

"विद्यापरिषद" का तात्पर्य सेन्टर के विद्यापरिषद से है।

"अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित या प्रतिस्थापित या पुनः अधिनियमित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या-21 सन् 1860) से है।

"प्राधिकारियों" का तात्पर्य सेन्टर के प्राधिकारियों से है।

"सेन्टर" का तात्पर्य सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस से है।

"सभापति" का तात्पर्य सेन्टर के शासकीय परिषद के सभापति से है।

"निदेशक" का तात्पर्य सेन्टर के निदेशक से है।

"सेन्टर का साधारण निकाय" का तात्पर्य सेन्टर के सदस्यों के साधारण निकाय से है।

"शासकीय परिषद" का तात्पर्य सेन्टर के शासकीय परिषद से है।

"सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

"संगम ज्ञापन" या **"ज्ञापन"** का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित और प्रतिस्थापित सेन्टर के संगम ज्ञापन से है।

"अध्यक्ष" तात्पर्य सेन्टर के अध्यक्ष से है।

"नियमावली" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित सेन्टर की नियमावली से है।

एक वचन का अर्थ रखने वाले शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन भी होंगे और बहुवचन का अर्थ रखने वाले शब्दों के अन्तर्गत एक वचन भी होगा। पुल्लिंग का अर्थ रखने वाले शब्द के अन्तर्गत स्त्रीलिंग भी होगा।

(4) <u>सदस्य</u>

4.1 सेन्टर में न्यूनतम सात सदस्य और अधिकतम [पचास (50)] से अनधिक सदस्य होंगे।

4.2 ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ता सेन्टर के प्रथम सदस्य होंगे। संगम ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ता निम्नलिखित होंगे :-

(109)

1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 सरकार-	सभापति
2.	सेन्टर निदेशक-	उप सभापति
3.	सचिव, चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 सरकार-	सदस्य
4.	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0-	सदस्य
5.	सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 सरकार-	सदस्य
6.	सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 सरकार-	सदस्य
7.	सेंटर के हित के क्षेत्र में पांच प्रख्यात वैज्ञानिक-	सदस्यगण

पांच अनुमोदित विशेषज्ञ निम्नलिखित हैं :-

(क) प्रोफेसर महेन्द्र भण्डारी, कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

(ख) प्रोफेसर आर0सी0 त्रिपाठी, निदेशक, जी0बी0 पन्त सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद।

(ग) प्रोफेसर एस0एस0 कटियार, कुलपति, सी0एस0जे0एम0यू0, कानपुर, उ0प्र0।

(घ) डा0 नित्यानंद, भूतपूर्व निदेशक, सी0डी0आर0आई0, लखनऊ।

(ड.) डा0 भूमित्र देव, भूतपूर्व कुलपति, गोरखपुर एवं बरेली विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

4.3 जब तक इस नियमावली के अनुसार पहले ही न हटा दिया गया हो, पदेन सदस्य से भिन्न सेन्टर का सदस्य सेन्टर का सदस्य बनने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की अवधि तक सदस्य बना रहेगा।

तीन वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर, पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य सेन्टर की सदस्यता का पद स्वतः खाली कर देगा। कोई व्यक्ति, जिसने एक पूर्ण अवधि तक सेंटर के सदस्य के रूप में सेवा की हो, सेन्टर के सदस्य के रूप में नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

4.4 सरकार के पास शक्ति होगी कि वह समय-समय पर शासकीय परिषद द्वारा संस्तुत नामों के पैनल में से सेन्टर के (पदेन और अपदेन दोनों) सदस्यों को नियुक्त कर सके। यदि शासकीय परिषद संस्तुतियां करने में विफल रहती हैं तो सरकार, जैसा उपयुक्त समझे, सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

4.5 इस नियमावली के नियम-23 में दिया गया अनर्हता से सम्बन्धित उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित सेन्टर के सदस्यों पर लागू होंगे।

4.6 सेन्टर सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय दिये गये होंगे।

4.7 प्रत्येक वर्ष में एक बार सेन्टर के सदस्यों और शासकीय परिषद के सदस्यों की एक सूची, जैसा कि अधिनियम की धारा-4 के अधीन अपेक्षित है, सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायेगी।

(5) <u>सेन्टर के प्राधिकरण</u>

सेन्टर के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :-

(1) केन्द्र का साधारण निकाय

(2) शासकीय परिषद

(3) वैज्ञानिक सलाहकार समिति

(4) सलाहकार समिति
(5) विद्यापरिषद
(6) पाठ्य बोर्ड
(7) नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड
(8) वित्त समिति
(9) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिनकी शासकीय परिषद द्वारा इस रूप में गठन/नियुक्ति की जाय।

(6) <u>सेन्टर का साधारण निकाय</u>

6.1 सेन्टर के साधारण निकाय में इसके पूर्व खण्ड-4 में निर्दिष्ट सेन्टर के सभी सदस्य समाविष्ट होंगे। सेन्टर के साधारण निकाय की बैठक वार्षिक रूप से ऐसे समय, दिनांक और स्थान पर आयोजित की जायेगी, जैसा शासकीय परिषद ("वार्षिक सामान्य बैठक") विनिश्चिय करे।

6.2 सेन्टर के साधारण निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

क. सेन्टर की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखा पर विचार करना और उसे अंगीकृत करना

ख. सेन्टर के उद्देश्यों से सुसंगत सामान्य नीति विषयक निर्देश निर्धारित करना

ग. सेन्टर द्वारा बेहतर कार्य सम्पादन किये जाने के लिए विशेष मामलों में, यदि आवश्यक हो, निर्देश जारी करना।

6.3 वार्षिक सामान्य बैठक में, सेन्टर के वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखा को, उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, सेन्टर के साधारण निकाय द्वारा विचार और अनुमोदन किये जाने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

6.4 सेन्टर के साधार निकाय की असाधारण बैठक शासकीय परिषद द्वारा किसी भी समय स्वप्रेरणा से या सेन्टर के तत्समय सदस्यों के बहुमत की अध्यपेक्षा पर आयोजित की जा सकेगी।

6.5 सेन्टर के सदस्यों द्वारा इस प्रकार की गयी किसी अध्यपेक्षा में उस प्रयोजन को विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जिसके लिए असाधारण सामान्य बैठक की अध्यपेक्षा की जा रही है। असाधारण सामान्य बैठक में बैठक की नोटिस में या अध्यपेक्षा में, यथास्थिति कथित कार्यों से भिन्न किसी और कार्य को विचारार्थ ग्रहण नहीं किया जायेगा। इन उपविधियों में अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, सेन्टर की सभी बैठकें निदेशक या शासकीय परिषद द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से नोटिस देकर आहूत की जायेंगी।

6.6 सेन्टर की बैठक आयोजित करने से सम्बन्धित प्रत्येक नोटिस में उस दिनांक, समय और स्थान का उल्लेख होगा जब ऐसी बैठक आयोजित की जायेगी और उक्त नोटिस बैठक के लिए नियत दिनांक से कम से कम पन्द्रह पूर्ण दिवस पूर्व सेन्टर के प्रत्येक सदस्य को जारी की जायेगी।

6.7 किसी सदस्य को नोटिस देने में हुई किसी आनुषंगिक चूक या नोटस न प्राप्त होने से बैठक की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी।

6.8 जब तक उपविधियों द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, सदस्यों की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये गये समस्त कार्यों का संव्यवहार ऐसी बैठक में उपस्थित और मतदान करने वालों के मतों के साधारण बहुमत द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। ऐसी किसी बैठक में मतों की समानता की दशा में सभापति के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(7) <u>शासकीय परिषद</u>

7.1 शक्तियां और कृत्य

अधिनियम, ज्ञापन और नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासकीय परिषद ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग और ऐसे समस्त कार्यों, कृत्यों एवं प्रकरणों को करने के लिए हकदार होगी, जिनका उपयोग करने या निष्पादित करने के लिए सेन्टर प्राधिकृत है। पूर्वगामी की व्यापकता को सीमित किये बिना, शासकीय परिषद सेन्टर का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा और उसके पास, उसमें निहित समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी ; अर्थात् :-

7.1.1 शासकीय परिषद संगम ज्ञापन में दिये गये सेन्टर के उद्देश्यों का सामान्य रूप से कार्यान्वयन और अनुसरण करेगी। सेन्टर के समस्त कार्यकलापों और निधियों का प्रबंध इस प्रयोजन के लिए शासकीय परिषद में निति होगा।

7.1.2 शासकीय परिषद सेन्टर को समस्त शक्तियों का उपयोग करेगी, तथापि वह ऐसी सीमाओं के अधीन रहेंगी, जैसी सरकार समय-समय पर सरकार द्वारा सेन्टर को दिये गये अनुदान की निधियों में से व्यय के सम्बन्ध में अधिरोपित करे।

7.1.3 विशिष्टतया और इस नियमावली तथा उपविधियों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासकीय परिषद को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति होगी :-

7.1.3.1 निदेशक द्वारा समय-समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये वार्षिक और अनुपूरक बजट पर विचार करना और उन्हें सेन्टर के साधारण निकाय द्वारा पारित किये जाने के लिए ऐसे उपान्तरों के साथ संस्तुत करना जैसा शासकीय परिषद उचित समझे।

7.1.3.2 सेन्टर के लिए सहायता, अनुदान, विन्यास, दान या उपहार प्राप्त और स्वीकार करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक या निजी विधिक इकाइयों, निगमित निकायों, सोसाइटियों, न्यासों, फर्मों या व्यक्तियों के साथ पारस्परिक रूप से सहमति प्राप्त निबंधन एवं शर्तों पर संविदा या बचनबन्ध करना, परन्तु यह कि ऐसी निबंधन व शर्तें, यदि कोई हों, सेन्टर के उद्देश्यों के प्रतिकूल, असंगत या विरूद्ध नहीं होंगी, परन्तु यह कि विदेशी और/या अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों या संगठनों के साथ ऐसे किसी करार के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

7.1.3.3 भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक निकायों या व्यक्तियों से क्रय, उपहार, विनियम, पट्टे या भाड़े द्वारा या अन्य प्रकार से संस्थाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अचल सम्पत्तियों,

(106)

विन्यासों या अन्य निधियों का तत्सम्बद्ध बाध्यताओं और बचनबंध के साथ अर्जन करना, परन्तु यह कि किसी विदेशी और/या अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण या संगठन के साथ ऐसे संव्यवहार के लिए सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा- 5 क के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

7.1.3.4 ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी शक्तियों से युक्त, जो इस नियामावली या सेन्टर के उद्देश्यों से असंगत न हों और ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबधंनों पर जैसा वह उचित समझे, समितियों और उप समितियों की नियुक्ति करना और उनमें से किसी का विघटन करना

7.1.3.5 सभापति, निदेशक या सेन्टर के ऐसे अन्य अधिकारियों, जिन्हें आवश्यक समझा जाये, को ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यारोपित करना जिन्हें वह उचित समझे।

7.1.3.6 सेन्टर के कार्यकलापों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए उपविधियों बनाना, संशोधित करना या निरसित करना और विशिष्टतया निम्नलिखित मामलों के लिए व्यवस्था करना :-

(क) बजट प्राक्कलनों की तैयारी और मंजूरी, व्यय की मंजूरी, संविदायें करना और निष्पादन करना, सेन्टर की निधियों का निवेश, ऐसे निवेशों का विक्रय या उसमें परिवर्तन और लेखाओं का अनुरक्षण और संचालन और उनकी संपरीक्षा ;

(ख) सेन्टर की सेवा में अधिकारियों को भर्ती और अधिष्ठान की प्रक्रिया ;

(ग) सेन्टर के अधिष्ठानों में नियुक्तियों के निबन्धन और कार्यकाल, परिलब्धियां, भत्ते, अनुशासनिक नियम और सेवा की अन्य शर्तें ;

(घ) ऐसे अन्य मामले, जो सेन्टर के कार्यकलापों और निधि के प्रशासन के लिए आवश्यक हों ;

7.1.4 सेन्टर के राजस्व और सम्पत्तियों का प्रबंध और प्रशासन करना और सेन्टर के ऐसे सभी प्रशासनिक कार्यकलापों का संचालन करना जिनके लिए अन्यथा विशेष रूप से प्रबंध न किया गया हो ;

7.1.5 वित्त समिति की संस्तुतियों और उ0प्र0 सरकार के अनुमोदन से अध्यापन और शैक्षणिक पदों का सृजन करना और उनकी संख्या, अर्हता, संवर्ग और परिलब्धियों का अवधारण करना ;

7.1.6 विद्यापरिषद के परामर्श से संकाय के सदस्यों और सेन्टर द्वारा अनुरक्षित अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करना ;

7.1.7 अभ्यागत अध्येताओं और अभ्यागत प्राचार्यों के पूर्वनियोजित भेंट के लिए व्यवस्था करना ;

(105)

7.1.8 वित्त समिति की संस्तुतियों और उ0प्र0 सरकार के अनुमोदन से निर्धारित या भिन्न संवर्गों के सम्बन्ध में आवश्यक या समीचीन प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना ;

7.1.9 सेन्टर के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्ति, आय, व्यय और अन्य सभी प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं या परामर्शियों या सलाहकारों की नियुक्ति करना, जिन्हें शासकीय परिषद उपयुक्त समझे ;

7.1.10 सेन्टर के छात्रों, कर्मचारियों, अध्यापन और अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द, सदस्यों की शिकायतों पर विचार करना, न्यायनिर्णयन करना और यदि उचित समझा जाय, उनका समाधान करना ;

7.1.11 सेन्टर के संप्रतीक का चयन और अनुमोदन करना और उसके लिए सामान्य मुहर रखना और ऐसे मुहर की अभिरक्षा और उपयोग के लिए व्यवस्था करना ;

7.1.12 यात्रा अध्येतावृत्तियों सहित अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पुरस्कारों और पारितोषिकों को उक्त प्रयोजन के लिए बनायी जाने वाली उपविधियों के अनुसार संस्थित करना ;

7.1.13 सेन्टर द्वारा प्रभार्य फीस का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करना ;

7.1.14 सेन्टर के कानूनी लेखा परीक्षकों और आन्तरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना और उनकी नियुक्ति की शर्तों का अनुमोदन करना ;

7.1.15 सेन्टर के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए निधि के लिए अपील निर्गत करना और सेन्टर के उद्देश्य सम्बन्धी खण्ड के उपबन्धों के अनुरूप अनुदान, दान, अंशदान, उपहार, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, फीस और अन्य धन प्राप्त करना, अनुदान और दान प्रदान करना, पुरस्कार, छात्रवृत्तियाँ आदि प्रदान करना ;

7.1.16 चेकों, ड्राफ्टों, विनियम बिलों, बचन पत्रों और अन्य परकाम्य लिखतों को आहरित करना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकन करना, बट्टा करना और परक्रामण करना ;

7.1.17 सेन्टर की अचल सम्पत्तियों के सम्पूर्ण भाग या किसी अंश को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5-क के अनुसार विक्रय करना, पट्टे पर देना, अंतरण करना, विनिमय करना या अन्यथा निस्तारित करना ;

7.1.18 सेन्टर की संक्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक सीमारहित भूमि, भवनों, परिसरों, उपस्करों, उपकरणों, फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स और प्रसुविधाओं सहित अचल या चल सम्पत्तियों को क्रय करना, पट्टा या भाड़ा या भाड़ा क्रय पर लेना या अन्य प्रकार से अर्जन करना ;

7.1.19 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5-क के अनुसार सेन्टर की अथवा उसके लिए किसी चल या अचल आस्तियों और सम्पत्तियों के क्रय, पट्टा, लाइसेंस या अन्य प्रकार के अर्जन के लिए अथवा विक्रय, अन्तरण, पट्टा, लाइसेंस, बंधक या अन्य प्रकार के निस्तारण के लिए यथा अपेक्षित विलेखों, दस्तावेजों और लिखतों, जिसके अन्तर्गत सीमा रहित हस्तान्तरण

विलेख, अन्तरण विलेख, बन्धक, पट्टे, इजाजत और अनुज्ञाप्तियों, बन्धपत्र और अन्य विलेख, दस्तावेज और लिखत का निष्पादन करना ;

7.1.20 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5-क के अनुसार सेन्टर की किन्ही सम्पत्तियों और आस्तियों की बुनियाद या आधार पर बन्ध पत्रों, बन्धकों, बचनपत्रों या अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों पर अथवा बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जैसा शासकीय परिषद उचित समझे, धन जुटाना और उधार लेना और सेन्टर की निधि में से धन जुटाने और उधार लिये गये धन का प्रतिसंदाय या मोचन करने से आनुषंगिक समस्त व्ययों का भुगतान करना ;

7.1.21 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5-क के अनुसार सेंटर की निधियों या सेन्टर को न्यस्त किये गये धन का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से निवेश करना जैसा शासकीय परिषद उचित समझे और समय-समय पर ऐसी प्रतिभूतियों को सील करना, अन्तरित करना या अन्यथा निस्तारित करना और/या किन्हीं ऐसी प्रतिभूतियों का अन्तर्विनिमय करना ;

7.1.22 एक ऐसी निधि का अनुरक्षण करना, जिसमें निम्नलिखित धन जमा किया जायेगा :-

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों और/या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन।

(ख) केन्द्र द्वारा प्राप्त की गयी समस्त फीस और अन्य प्रभार।

(ग) अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रूप में सेन्टर द्वारा प्राप्त किया गया समस्त धन ; और

(घ) केन्द्र द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन।

7.1.23 फण्ड में जमा किये गये समस्त धन को अनुसूचित बैंकों में जमा करना या वित्त समिति के परामर्श से उनको निवेशित करना ;

7.1.24 उपयुक्त लेखा बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख रखना और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में लेखा का वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत आय और व्यय लेखा और तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्रपत्र में तैयार करना जैसा विधि द्वारा विहित किया जाय या जैसा सेन्टर के लिए लागू हो ;

7.1.25 अध्यापन, शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा उपविधियों द्वारा विहित की जाय, ऐसे पेंशन बीमा, भविष्य निधि, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं की स्थापना करना, जैसा शासकीय परिषद सेन्टर के कर्मचारियों के लाभ के लिए उचित समझे और सेन्टर के कर्मचारिवृन्द और छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रकल्पित संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण पत्रों की स्थापना, समर्थन एवं प्रबंध करना ;

7.1.26 शासकीय परिषद की समस्त या किन्ही शक्तियों को उसके द्वारा गठित किसी समिति या उप समिति को या सेन्टर के निदेशक को या सेन्टर के किसी अन्य अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित करना ;

7.1.27 विद्यापरिषद की सलाह से सेन्टर के शैक्षणिक कार्यों और कृत्यों के लिए प्रभागों और विभागों की स्थापना करना और ऐसे प्रभागों और विभागों को अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के क्षेत्र आवंटित करना ;

7.1.28 सेन्टर द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा या परीक्षण का संचालन करना, सेन्टर द्वारा प्रदत्त उपाधियों और डिप्लोमा के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी परीक्षा या परीक्षणों के परिणामों की घोषणा करना और उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियां एवं विशिष्टताएं प्रदान, स्वीकृत और पुरस्कृत करना ;

7.1.29 सेन्टर के छात्रों और कर्मचारियों के लिए छात्रावासों की स्थापना, रख-रखाव व प्रबंध करना ;

7.1.30 विद्यापरिषद और वित्त समिति के परामर्श से परीक्षाओं के लिए नियुक्त परीक्षकों, अनुसीमकों, सारणीकारों और ऐसे अन्य कार्मिकों की परिलब्धियां और यात्रा एवं अन्य भत्ते निर्धारित करना ;

7.1.31 किसी परियोजना या योजना पर अनुमोदित बजट के अनुसार या ऐसे व्यय के अनुमोदन के लिए समय-समय पर प्रवृत्त नीतियों के अनुसार व्यय को अनुमोदित या प्राधिकृत करना ;

7.1.32 शासकीय परिषद सेन्टर का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा और उसके पास सेन्टर के अबाध एवं दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए सभी आवश्यक निर्णय लेने की शक्ति होगी।

7.2 <u>संरचना</u>

शासकीय परिषद में उसके सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे :

(एक)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार-	सभापति (पदेन)
(दो)	क्षेत्र से जुड़ा एक प्रख्यात वैज्ञानिक, जिसे सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा-	उप सभापति
(तीन)	सभापति, वैज्ञानिक सलाहकार समिति-	सदस्य (पदेन)
(चार)	मैग्नेटिक रेजोनेंस, स्नायु-विज्ञान और सहबद्ध शाखा- से तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जिनका नामनिर्देशन शासकीय परिषद के सभापति द्वारा वैज्ञानिक सलाहकार समिति के निदेशक एवं सभापति की संस्तुति पर किया जायेगा।	सदस्य
(पांच)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती-	सदस्य (पदेन)
(छः)	उ0प्र0 सरकार (वित्त विभाग) का नामनिर्देशिती-	सदस्य (पदेन)
(सात)	महानिदेशक, सी0एस0आई0आर0 या उसका नामनिर्देशिती-	सदस्य (पदेन)
(आठ)	सचिव, डी0एस0टी0 या नामनिर्देशिती-	सदस्य (पदेन)
(नौ)	सभापति, यू0जी0सी0 या नामनिर्देशिती-	सदस्य (पदेन)

(दस) महानिदेशक, आई0सी0एम0आर0 या नामनिर्देशिती- सदस्य (पदेन)
(ग्यारह) सचिव, डी0बी0टी0 या नामनिर्देशिती- सदस्य (पदेन)
(बारह) सेन्टर का निदेशक- सदस्य (पदेन)
(तेरह) निदेशक, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ- मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, उ0प्र0। सदस्य (पदेन)

सेन्टर का प्रशासनिक अधिकारी परिषद का गैर-सदस्य सचिव होगा।

7.3 सदस्यता की अवधि

7.3.1 शासकीय परिषद का कोई भी सदस्य निम्नलिखित घटनाओं के घटित होने पर सदस्य नहीं रह जायेगा :

(क) यदि वह त्यागपत्र दे देता है, विकृत चित्त का हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है या उसका नियोजक उसे शासकीय परिषद में सेवा करने की अनुमति देने से इंकार कर देता है या वह एक वर्ष से अधिक की निरन्तर अवधि तक विदेश चला/चली जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है या वह शासकीय परिषद की राय में सेन्टर के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों की प्राप्ति में बाधक बन जाता है ।

(ख) यदि वह किसी/किन्हीं पर्याप्त कारण/कारणों या सभाति की अनुमति के बिना शासकीय परिषद की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित नहीं होता है।

(ग) यदि वह नियम 26 में दी गयी किन्हीं अनर्हताओं से ग्रस्त है।

7.3.2 जब भी कोई सदस्य शासकीय परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहे तो वह सभापति को सम्बोधित करते हुए एक पत्र भेजेगा, जिसमें उसका त्यागपत्र समाविष्ट होगा और उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

7.3.3 उपर्युक्त नियम 7.3.1 और नीचे नियम 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासकीय परिषद का प्रत्येक गैर-पदेन सदस्य शासकीय परिषद का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता त्याग देगा ; किन्तु इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस प्रकार सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य तीन वर्ष की एक और अवधि तक पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। शासकीय परिषद का कोई ऐसा सदस्य जिसने दो कार्यकाल तक सेवा कर ली हो, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। आकस्मिक रिक्ति की दशा में, ऐसी रिक्ति को भरे जाने के लिए नियुक्त व्यक्ति उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हो गया हो, की अनवसित पदावधि के लिए पदधारण करेगा।

7.4 शासकीय परिषद की बैठकें

7.4.1 शासकीय परिषद वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें आयोजित करने का प्रयास करेगी। शासकीय परिषद की बैठकें इस प्रकार आयोजित की जायेंगी कि प्रत्येक आधे वर्ष में कम से कम एक बैठक कर ली जाये। इस नियम 7.4.1, के

प्रयोजनों के लिए, एक वर्ष में प्रत्येक वर्ष अप्रैल की प्रथम तारीख को प्रारम्भ होने वाली और अगले कैलेण्डर दिवस के 31 मार्च को समाप्त होने वाली 12 माह की अवधि समाविष्ट होगी।

7.4.2 शासकीय परिषद की प्रत्येक बैठक का सभापतित्व इसके सभापति द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चयनित किसी सदस्य द्वारा किया जायगा।

7.4.3 शासकीय परिषद किसी कार्य का सम्पादन ऐसे कार्य को शासकीय परिषद के सभी सदस्यों में परिचालित करके कर सकेगा। इस प्रकार परिचालित और सांधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा मानो ऐसा संकल्प शासकीय परिषद की सम्यक् रूप से आहूत और आयोजित की गयी बैठक में पारित किया गया हो।

7.4.4 शासकीय परिषद के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सात सदस्यों से शासकीय परिषद की किसी बैठक की गणपूर्ति होगी, परन्तु यह कि किसी स्थगित बैठक की दशा में, उपस्थित सदस्यों से (उपस्थित सदस्यों की संख्या निर्धारित गणपूर्ति से कम होने पर भी) ऐसी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति हो जायेगी।

7.4.5 प्रत्येक सदस्य को शासकीय परिषद की प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में कम से कम पन्द्रह दिन की स्पष्ट नोटिस दी जायेगी। नोटिस में बैठक की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होगा। किसी सदस्य को नोटिस देने में आकस्मिक लोप होने या उसके द्वारा नोटिस न प्राप्त किये जाने से बैठकों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।

7.4.6 शासकीय परिषद की बैठक किसी भी समय सभापति द्वारा या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा द्वारा अपेक्षा किये जाने पर सचिव द्वारा आहूत की जा सकती है। ऐसी अध्यपेक्षा के प्राप्त हो जाने पर सचिव तत्काल ऐसी बैठक आहूत करने की कार्यवाही करेगा।

7.4.7 शासकीय परिषद में सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिये जायेंगे। शासकीय परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा। शासकीय परिषद की किसी बैठक में मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में बैठक में सभापति के पास निर्णायक मत होगा।

7.5 शासकीय परिषद द्वारा स्थायी समितियों एवं तदर्थ समितियों का गठन

7.5.1 सेन्टर की नियमावली और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासकीय परिषद संकल्प द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए एवं ऐसी शक्तियों और प्राधिकारों के साथ, जैसा शासकीय परिषद उचित समझे और सेन्टर की किसी शक्ति या शक्तियों के प्रयोग या किन्हीं कृत्यों के सम्पादन के लिए या सेन्टर के किसी मामले पर जांच और सलाह देने के लिए ऐसी समितियों या उपसमितियों या सहसमितियों या तदर्थ समितियों का गठन कर सकती है।

7.5.2 शासकीय परिषद ऊपर नियम 7.5.1 में निर्दिष्ट समितियों के सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त या सहयोजित कर सकती है।

(100)

7.6 सरकार की शक्तियां

7.6.1 सरकार को यह शक्ति होगी कि वह संगम ज्ञापन में दिये गये उद्देश्यों को कार्यान्वित करने या जारी रखने के प्रयोजनार्थ सेन्टर को समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी करे, जैसा वह आवश्यक समझे।

7.6.2 सरकार सेन्टर के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन या निरीक्षण करने के लिए और उसके कार्यकलापों की जांच कराने के लिए तथा उस पर ऐसी रीति से, जैसा सरकार विनिश्चय कर, रिपोर्ट देने के लिए एक या उससे अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार रिपोर्ट में व्यवहृत किसी भी विषयवस्तु के सम्बन्ध में ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे तथा सेन्टर ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

7.6.3 सेन्टर के वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक और अनुपूरक बजट, उपविधियों तथा सम्परीक्षित लेखाओं की प्रतियां सेन्टर द्वारा सरकार को उपलब्ध करायी जायेंगी, जिसके पास उसके सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

7.7 शासकीय परिषद की शक्तियों का प्रत्यायोजन

शासकीय परिषद किसी संकल्प द्वारा सेन्टर के निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को या किसी स्थायी समिति को या तदर्थ समिति को शासकीय परिषद की ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रत्यायोजित कर सकती है जैसा वह उचित समझे, परन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि अध्यक्ष या निदेशक या सम्बन्धित अधिकारी या स्थायी समिति या सम्बन्धित तदर्थ समिति द्वारा इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग करने में की गयी कार्यवाही की सूचना शासकीय परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

(8) <u>वैज्ञानिक सलाहकार समिति</u>

वैज्ञानिक सलाहकार समिति में (एक) सभापति, जो सम्बन्धित क्षेत्र में एक प्रख्यापित वैज्ञानिक होंगे (दो) सम्बन्धित शाखाओं में 05 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और (तीन) निदेशक समाविष्ट होंगे। निदेशक समिति का सदस्य-सचिव होगा। पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। वैज्ञापिक सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन एवं संचालन और उक्त समिति के कार्य सम्पादन को शासित करने से सम्बन्धित नियम उपविधियों में दिये जायेंगे।

(9) <u>सलाहाकार समिति</u>

सेन्टर में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति की अध्यक्षता में प्रथम दस वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार समिति होगी। सलाहकार समिति के अन्तर्गत सेन्टर का निदेशक और इसके ज्येष्ठ संकाय के वरिष्ठ सदस्यगण और साथ में निदेशक की संस्तुति पर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक/दो विशेषज्ञ होंगे, जो उसके शैक्षणिक नियोजन और विकास में सहायता करेंगे। सलाहकार समिति की सदस्यता, सलाहकार समिति के सदस्यों की पदावधि सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन और संचालन, सलाहकार समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति और उक्त समिति द्वारा कार्य के सम्पादन को प्रशासित करने से सम्बन्धित नियम उपविधियों में दिये जायेंगे।

(10) विद्या परिषद

99

10.1 विद्या परिषद की भूमिका

विद्यापरिषद सेन्टर का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और संगम ज्ञापन, नियमावली और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण, सेन्टर के भीतर अन्तर्विभागीय समन्वय, परीक्षाओं और परीक्षणों पर नियंत्रण रखेगा और उनके लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का निष्पादन करेगा, जैसा उसे नियमावली और उपविधियों द्वारा विहित या प्रदत्त किया जाय।

10.2 विद्या परिषद की सदस्यता

10.2.1 विद्या परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात्

(क) सेन्टर का निदेशक -	सभापति
(ख) संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो,-	सदस्य
(ग) प्रत्येक प्रभाग का समुचित प्रतिनिधित्व - करने के लिए निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट संकाय-सदस्य	सदस्य
(घ) प्रख्यात् शिक्षाविदों में से या सेन्टर के कार्यकलापों - से सम्बन्धित किसी अन्य क्षेत्र से शासकीय परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे व्यक्ति जो सेन्टर की सेवा में न हों,	सदस्य
(ड.) तीन से अनधिक ऐसे व्यक्ति जो अपने विशेषज्ञीय ज्ञान के लिए विद्यापरिषद द्वारा सहयोजित अध्यापन कर्मचारिवृन्द के सदस्य न हों,	

10.2.2 पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी। जब तक प्रत्येक सदस्य एक पूरी अवधि न पूरा कर ले, वे अग्रतर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

10.3 विद्यापरिषद की शक्तियां और कृत्य

विद्यापरिषद सेन्टर का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् ;

(क) सेन्टर के शैक्षणिक कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण करना और अनुदेश की पद्धतियों, मूल्यांकन या शोध या शैक्षणिक मानकों में सुधारों के सम्बन्ध में निदेश देना।

(ख) शैक्षणिक हित के मामलों पर या तो स्वप्रेरणा से या शासकीय परिषद के अनुरोध पर विचार करना और उस पर उचित कार्यवाही करना।

(ग) उपविधियों के अनुरूप परीक्षाओं के आयोजन के लिए व्यवस्था करना।

(घ) शिक्षा और परीक्षाओं के उचित मानक को बनाये रखना।

(ड.) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं की उपाधियों और डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करना और सेन्टर की उपाधियों और डिप्लोमा के साथ समतुल्यता का अवधारण करना।

(च) सेन्टर की उपाधि और डिप्लोमा से सम्बन्धित अध्ययन का पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

(छ) विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षकों, अनुसीमकों, सारणीकारों और ऐसे अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करना।

(ज) विभागीय समन्वय के लिए उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देना।

(झ) शासकीय परिषद को निम्नलिखित पर संस्तुति प्रदान करना :

(एक) अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मानकों के सुधार के लिए उपाय।

(दो) अध्येतावृत्तियों, यात्रा अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों, पारितोषिकों, पुरस्कारों और अन्य प्रकार की मान्यताओं का संस्थापन।

(तीन) प्रभागों या विभागों की स्थापना या समापन ; और

(चार) सेन्टर के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, आवास, प्रवेश परीक्षायें, अध्येतावृत्तियां और अध्ययन वृत्तियां प्रदान करने तथा अध्ययन वृत्तियां, फीस माफी, रियायतें, उपस्थिति आदि आच्छादित करने से सम्बन्धित उपविधियों की विरचना, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण।

(ञ) ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों पर, जिन्हें शासकीय परिषद विद्यापरिषद को संदर्भित करे, सलाह देने के लिए समितियों या उप समितियों की नियुक्ति करना ;

(ट) समितियों या उपसमितियों की संस्तुतियों पर विचार करना और शिक्षा के मानकों को बनाये रखने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसी कार्यवाही करना, (जिसके अन्तर्गत शासकीय परिषद को संस्तुतियां करना भी है) ;

(ठ) प्रभागों/विभागों के कार्यकलापों का आवधिक पुनर्विलोकन करना और शिक्षा के मानकों को बनाये रखने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यवाही करना (जिसके अन्तर्गत शासकीय परिषद को संस्तुतियां करना भी है) ;

(ड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करना जैसा नियमों और उपविधियों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(ढ) सेन्टर के भीतर अनुसंधान को प्रोन्नत करना और समय-समय पर किये गये अनुसंधानों पर रिपोर्ट प्राप्त करना ; और

(ण) सामान्यतः ऐसे समस्त कार्यों को करना जो सेन्टर के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए प्रासंगिक या आनुषंगिक हैं।

10.4 विद्या परिषद की बैठक

10.4.1 विद्या परिषद उतनी बार बैठक करेगी जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार बैठक होगी। बैठक की सूचना बैठक होने के कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी। किसी सदस्य द्वारा सूचना न प्राप्त किये जाने या बैठक की सूचना जारी होने में आकस्मिक लोप होने से बैठक या उसकी कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

10.4.2 विद्या परिषद के तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई भाग से विद्या परिषद की किसी बैठक की गणपूर्ति होगी। किसी आयोजित बैठक में गणपूर्ति न होने की दशा में बैठक स्थगित हो जायेगी। स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों से उस बैठक की गणपूर्ति होगी।

10.4.3 कोई कार्य, जिसका संपादन किया जाना विद्या परिषद के लिए आवश्यक हो, ऐसे कार्यों को छोड़कर जिनका सम्पादन नियमावली या उपविधियों के स्पष्ट उपबन्धों के अनुसार विद्या परिषद की सम्यक् रूप से आयोजित बैठक में ही किया जाना अपेक्षित है, विद्या परिषद के समस्त सदस्यों के मध्य व्याख्यात्मक विवरण और प्रारूप संकल्प के साथ कार्य को परिचालित करके सम्पादित किया जा सकेगा और इस प्रकार परिचालित एवं सामान्य बहुमत द्वारा अनुमोदित संकल्प इस प्रकार प्रभावी और बाध्यकारी होगा मानो ऐसा संकल्प विद्या परिषद की बैठक में पारित किया गया हो ; परन्तु यह कि विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों ने उक्त संकल्प पर अपने विचार अभिलिखित कर दिये हों।

10.4.4 विद्या परिषद के समस्त निर्णय सामान्य बहुमत द्वारा लिये जायेंगे। परिषद की किसी बैठक में मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में, सभापति का मत निर्णायक होगा।

10.4.5 विद्या परिषद का सभापति विद्या परिषद की समस्त बैठकों का सभापतित्व करेगा। सभापति के अनुपस्थित होने या अन्यथा बैठक का सभापतित्व करने की स्थिति में न होने या बैठक का सभापतित्व करने के लिए अनिच्छुक होने की दशा में सदस्य उक्त बैठक का सभापतित्व करने के लिए स्वयं में से एक सदस्य को सभापति के रूप में निर्वाचित कर लेंगे।

(11) <u>अध्ययन बोर्ड</u>

11.1 सेन्टर के समस्त विभागों या प्रभागों के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा।

11.2 अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :-

(क) निदेशक-	**पदेन सभापति**
(ख) संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो-	सदस्य
(ग) कम से कम तीन संकाय-सदस्य, जो सेन्टर के प्रभागों- का समुचित प्रतिनिधित्व करने के लिए निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये होंगे।	सदस्य
(घ) सम्बन्धित व्यवसाय या उद्योग से सम्बद्ध व्यक्तियों सहित- दो से अनधिक व्यक्ति जिन्हें उनके विशेष ज्ञान के लिए सहयोजित किया जायगा,	सदस्य

11.3 अध्ययन बोर्ड का गठन उसकी शक्तियों और कृत्य, अध्ययन बोर्ड के सदस्यों द्वारा पदधारण किये जाने की अवधि, बैठकें बुलाना और आयोजित करना और अध्ययन बोर्ड द्वारा कार्यों का सम्पादन उपविधियों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(12) <u>नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड</u>

(96)

12.1 नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड सेन्टर का प्रधान नियोजन निकाय होगा और सेन्टर के विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगा।

12.2 सेन्टर का निदेशक नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड का सभापति होगा। इसके अन्तर्गत तीन आन्तरिक सदस्य और तीन वाहृय विशेषज्ञ हो सकते हैं।

12.3 नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य, नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड के सदस्यों द्वारा पद धारण किये जाने की अवधि, बैठकें बुलाना और आयोजित करना और उक्त समिति द्वारा कार्यों का सम्पादन उपविधियों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

12.4 नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड के पास शासकीय परिषद और विद्या परिषद को किसी ऐसे मामले पर सलाह देने की शक्ति होगी जिसे नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड सेन्टर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझें।

12.5 नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड की संस्तुतियों को शासकीय परिषद के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।

(13) <u>वित्त समिति</u>

13.1 **वित्त समिति की सदस्यता**

वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

(1) निदेशक (शासकीय परिषद का उप सभापति)-	सभापति (पदेन)
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,उ0प्र0 सरकार या- उसका नामनिर्देशिती	सदस्य पदेन
(3) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा,उ0प्र0 सरकार या- उसका नाम निर्देशिती-	सदस्य (पदेन)
(4) शासकीय परिषद के दो नामनिर्देशिती-	सदस्य पदेन
(5) यू0जी0सी0/डी0एस0टी0/डी0सी0एम0आर0/ डी0बी0टी0 में से प्रत्येक का एक नामनिर्देशिती	
(6) वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ-	सदस्य सचिव पदेन

13.2 **पदावधि**

वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न समस्त सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पदधारण करेंगे।

13.3 **शक्तियां एवं कृत्य**

वित्त समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां और प्राधिकार होंगे :-

13.3.1 सेन्टर के वार्षिक बजट प्राक्कलनों एवं पुनरीक्षित प्राक्कलनों पर विस्तृत रूप से विचार करना और उसके सम्बन्ध में शासकीय परिषद से संस्तुतियां करना ; .....

13.3.2 मुख्य कार्यों और क्रय के कारण व्यय उपगत होने के प्रस्तावों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना ;

13.3.3 नये पदों के सृजन हेतु प्रस्तावों पर विचार करना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप शासकीय परिषद से संस्तुति करना ;

13.3.4 कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों, भत्तों और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तों के पुनरीक्षण, जिनमें वित्तीय आलिप्तता होती है, पर विचार करना और शासकीय परिषद से संस्तुति करना ;

13.3.5 सेन्टर की वित्तीय स्थिति पर पुनर्विलोकन करना और समय-समय पर सरकार से संस्तुतियां करना ; और

13.3.6 विभिन्न परियोजनाओं पर विचार करना और संस्तुति देना और शासकीय परिषद से संस्तुति करना ;

13.3.7 वित्तीय प्रणालियों और नियंत्रणों, वित्तीय नीतियों, व्यय प्राधिकरण सांचे और वित्तीय मामले से सम्बन्धित समस्त अन्य मामलों से सम्बन्धित समस्त अन्य मामलों का प्रतिपादन और/या उनका अनुमोदन करना

13.4 निबन्धन और शर्तें

13.4.1 वित्त समिति एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। वित्त समिति की बैठक के लिए कम से कम 15 दिन की नोटिस दी जायेगी। समिति के किसी सदस्य को नोटिस प्राप्त न होने या नोटिस के जारी होने में कोई आकस्मिक लोप होने से बैठक या उसकी कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

13.4.2 वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उन पर उनके द्वारा विचार किया जायेगा और तत्पश्चात् वित्त समिति की टिप्पणी के साथ उसे शासकीय परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

13.4.3 समस्त प्रकार के पदों के सृजन के सम्बन्ध में शासकीय परिषद से संस्तुति करना।

13.4.4 वित्त समिति की किसी बैठक की गणपूर्ति वित्त समिति के तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों या पांच सदस्यों, जो भी अधिक हों, की उपस्थिति से होगी, परन्तु सदैव यह कि ऐसी बैठकों में गणपूर्ति के लिए ऐसे सदस्यों में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय सलाहकार और वित्त पोषण करने वाले केन्द्र सरकार के कम से कम एक अभिकरण के प्रतिनिधि की उपस्थिति सम्मिलित होगी।

13.4.5 वित्त समिति की बैठकों में समस्त निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से लिये जायेंगे। किसी बैठक में मतों के बराबर-बराबर होने की स्थिति में, सभापति के पास निर्णायक मत होगा।

13.4.6 वित्त अधिकारी वित्त समिति का असदस्य सचिव होगा।

13.4.7 वित्त समिति सेन्टर की नियमावली और उपविधियों के अनुसार कार्य करेगी और सामान्यतया सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत आदेशों/दिशा-निर्देशों का पालन करेगी। रू0 5.00 करोड़ से अधिक या ऐसी उच्चतर सीमाओं, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, के व्यय के प्रस्तावों को विहित प्रक्रिया के अनुसार

अनुमोदन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार या व्यय वित्त समिति/लोक निवेश बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा। (95)

(14) <u>चयन समिति</u>

सेन्टर में संकाय के पदों और ऐसे अन्य पदों पर जैसा कि उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, नियुक्ति की संस्तुति के लिए चयन समितियां होंगी। चयन समितियों की स्थापना एवं गठन निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(15) <u>शिकायत निराकरण तंत्र</u>

सेन्टर व्यक्तिगत शिकायतों एवं आपत्तियों के निराकरण हेतु उपविधियों में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों, यदि कोई हों, के अनुसार शासकीय परिषद के अनुमोदन से शिकायत निराकरण तंत्र की नियुक्ति कर सकता है।

(16) <u>सेन्टर के प्रमुख अधिकारी</u>

16.1 सेन्टर के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

(एक) अध्यक्ष
(दो) उपाध्यक्ष
(तीन) निदेशक
(चार) वित्त अधिकारी
(पांच) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायें।

16.2 अध्यक्ष

सेन्टर का एक अध्यक्ष होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव सेन्टर का अध्यक्ष होगा।

16.3 निदेशक

16.3.1 सेन्टर का निदेशक, जो एक विशिष्ट वैज्ञानिक होगा, सेन्टर का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति उपविधियों के अनुसार अनुसंधान सह चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर सरकार द्वारा की जायेगी। निदेशक 05 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, जो उपविधियों के अनुसार अग्रतर अवधि या अवधियों तक बढ़ायी जा सकती है। यदि निदेशक का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाय और बीमारी, अक्षमता या किसी अन्य कारण से उसकी अनुपस्थिति में सेन्टर का ज्येष्ठतम आचार्य (प्रोफेसर) निदेशक के कर्तव्यों का सम्पादन तब तक करेगा जब तक, यथास्थिति, नये निदेशक की नियुक्ति न हो जाये या वर्तमान निदेशक अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर लें।

16.3.2 निदेशक विद्यापरिषद का पदेन सभापति होगा।

16.3.3 शासकीय परिषद के अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण तथा नियमावली एवं उपविधियों के अधीन रहते हुए, निदेशक सेन्टर के अधिकारियों और

कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उन पर अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उनके कर्तव्यों एवं कृत्यों को निर्दिष्ट करेगा।

16.3.4 निदेशक ऐसी शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग करेगा, जो उसमें निहित हैं या जो उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।

16.3.5 निदेशक सेन्टर के समस्त कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करेगा और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

16.3.6 सेन्टर का निदेशक सेन्टर का सचिव होगा। सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) की धारा 6 के प्रयोजनों के लिए, सचिव को सेन्टर का प्रमुख सचिव समझा जायेगा और सेन्टर के सचिव के नाम से सेन्टर वाद चला सकेगा या उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

16.3.7 निदेशक, उपविधियों के अनुसार अपनी किसी शक्ति को सेन्टर के अधिकारियों में से किसी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

16.3.8 निदेशक के पास सेन्टर के विभिन्न निकायों की बैठकों का आयोजन करने या आयोजन करवाने की शक्ति होगी।

16.3.9 निदेशक के पास ऐसी समस्त शक्तियां और प्राधिकार होंगे, जो सेन्टर के उचित प्रबंध और कार्यकलापों के संचालन के लिए आवश्यक होंगे तथा वह उनका प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा, चाहे ऐसी शक्तियों या प्राधिकारों का इसमें स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया हो, अथवा न दिया गया हो।

16.4 <u>वित्त अधिकारी</u>

16.4.1 वित्त अधिकारी सेन्टर का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा या उसके अनुमोदन से की जायेगी।

16.4.2 वित्त अधिकारी निदेशक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा और निदेशक के माध्यम से शासकीय परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा। वह वित्त समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। वह वित्तीय मामलों के लिए निदेशक का सलाहकार होगा।

16.4.3 सेन्टर के निवेश की उचित व्यवस्था करने हेतु शासकीय परिषद के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वह वित्त समिति और शासकीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए वार्षिक प्राक्कलनों और लेखा के विवरणों की तैयारी के लिए उत्तरदायी होगा।

(17) <u>ज्येष्ठता सूची</u>

ज्येष्ठता सूची उपविधियों के अनुसार रखी जायेगी।

(18) <u>शक्तियों का प्रत्यायोजन</u>

इस नियमावली और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेन्टर का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपने-अपने नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति के प्रयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निरंतर निहित रहेगा।

(92)

(19) <u>सदस्यता के सम्बन्ध में विवाद</u>

यदि सेन्टर के किसी प्राधिकरण या किसी समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के सम्यक् रूप से नियुक्त होने या सदस्य होने का हकदार होने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है, तो मामले को सेन्टर के अध्यक्ष को संदर्भित किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(20) <u>त्यागपत्र</u>

सेन्टर का कोई सदस्य या किसी प्राधिकरण या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य शासकीय परिषद के सभापति को संबोधित एक पत्र द्वारा पद त्याग सकता है और जैसे ही अध्यक्ष या शासकीय परिषद के सभापति/यथास्थिति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाय, त्यागपत्र प्रभावी हो जायेगा।

(21) <u>बैठक का कार्यवाहक सभापति</u>

जहां सेन्टर के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति की बैठक का सभापतित्व करने के लिए सभापति का कोई प्रबंध किया गया हो या इस प्रकार प्रबंध किया हुआ सभापति अनुपस्थिति हो, तो ऐसी बैठक का सभापतित्व करने के लिए सदस्य अपने में से एक का निर्वाचन कर लेंगे।

(22) <u>कतिपय कार्यों/निर्णय का विधिमान्यकरण</u>

सेन्टर के किसी प्राधिकरण या किसी निकाय या किसी समिति का कोई कार्य या उसकी कार्यवाही केवल इस करण से अविधिमान्य नहीं होगी कि :-

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ;

या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन या नियुक्ति को, कोई त्रुटि है ;

या

(ग) बैठक की नोटिस जारी होने में कोई आकस्मिक लोप हुआ है ;

या

(घ) बैठक के संचालन में कोई अनियमितता हुई है या निर्णय मामले के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करता है।

(23) <u>अनर्हता</u>

(क) कोई व्यक्ति सेन्टर के किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने या सदस्य का पद धारण करने के लिए विचार किये जाने हेतु अनर्ह हो जायेगा यदि वह :-

(एक) विकृत चित्त का हो ; या

(दो) यदि वह एक अनुन्मोचित दिवालिया हो ; या

(तीन) यदि उसे नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो।

(ख) यदि किसी व्यक्ति के किसी अनर्हता से ग्रस्त होने या अनर्ह हो जाने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न को अध्यक्ष को उसके निर्णय के लिए सन्दर्भित

किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे निर्णय के विरूद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जायेगा या कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(24) <u>सेन्टर की शक्तियों और कृत्य</u>

सेन्टर के उपर्युक्त उद्देश्यों--को कार्यान्वित करने और उसके कार्यकलापों के प्रबंध के लिए सेन्टर के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

24.1 अध्ययन और अनुसंधान के पाठ्यक्रमों की स्थापना करना और अध्ययन की ऐसी शाखाओं में शिक्षण प्रदान करना, जिन्हें सेन्टर ऐसी शाखाओं में में विद्या के अभिवर्धन और ज्ञान के प्रसारण के लिए उपयुक्त समझे।

24.2 अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रमों और/या अनुसंधान यथाविहित, को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने वाले और विहित परीक्षायें पास कर लेने वाले व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करना और डिप्लोमा और/प्रमाण पत्र स्वीकृत करना;

24.3 परिदर्शकवृत्ति, अध्ययेतावृत्ति, प्रदर्शन, पारितोषिक, पुरस्कार योग्यता प्रमाण-पत्र और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना।

24.4 सेन्टर के नियमों और विनियमों के अनुसार कार्मिकों को नियुक्त करना या उनकी सेवायें भाड़े पर लेना या उनकी सेवायें उन्मुक्त/समाप्त करना और सेन्टर को अर्पित की गयी सेवाओं के बदले में उन्हें वेतन, मजदूरी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य भत्ते, पारिश्रमिक तथा लाभ प्रदान करना ;

24.5 सेन्टर के अधीन प्रशासनिक, प्राविधिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और सेन्टर के नियमों और विनियमों के अनुसार उन पर नियुक्तियां करना ;

24.6 सेन्टर के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए भेंट संस्थित करना और पारितोषिक, पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, यात्रानुदान तथा छात्रवृत्तियां, अनुसंधान, अनुदान तथा वृत्तिका प्रदान करना ;

24.7 धन सम्बन्धी अनुदान, प्रतिभूतियां और किसी भी प्रकार की सम्पत्तियां ऐसे निबंधन पर स्वीकार करना जो समीचीन हों ;

24.8 सेन्टर की निधि और धन का निवेश करना और उनका निस्तारण करना ;

24.9 बैंकों या वित्तीय संस्थाओं, निगमित निकायों या किसी अन्य वित्तदाता या सार्वजनिक या निजी इकाईयों से प्रतिभूतियों, जिनके अन्तर्गत सेन्टर की सम्पत्तियों और आस्तियों की गिरवी, आडमान या बंधक भी हैं, के साथ या उनके बिना ऋण और अग्रिम जुटाना ; परन्तु यह कि उस निमित्त सरकार का लिखित रूप से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

24.10 सेन्टर के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए धन तथा निधि के लिए अपील निर्गत करना और आवेदन करना तथा नकद और प्रतिभूतियों तथा किसी प्रकार की सम्पत्ति, चाहे चल हो या अचल, के उपहार, दान, अभिदान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से निधि जुटाना या एकत्र करना और दानकर्ताओं, अभिदाताओं

और अन्य हिताधिकारियों की ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करना, जिन्हें संस्था ठीक और उचित समझे ;

24.11 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा-5-क के अनुसार उपहार, क्रय, विनिमय, पट्टा, भाड़ा द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से किसी ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन करना और उसे धारण करना जो सेन्टर के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हों और ऐसे भवनों, संकर्मों एवं संरचनाओं को बनाना, उनका विनिर्माण करना, उनमें सुधार करना, परिवर्तन करना, उन्हें गिराना और उनकी मरम्मत करना, जो सेन्टर के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने लिए आवश्यक हों ;

24.12 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा-5-क के अनुसार सेन्टर के उद्देश्यों या उनमें से किसी उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए सेन्टर की समस्त या किसी चल या अचल सम्पत्ति का विक्रय करना, उसे बन्धक पर देना, पट्टे पर देना, विनिमय करना और अन्यथा अन्तरण या निस्तारण करना ;और

24.13 सेन्टर के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी विन्यास या न्यास निधि या दान को स्वीकार करना और उनके प्रतिबन्ध का दायित्व लेना ;

24.14 ऐसी अन्य शक्तियों, प्राधिकारों और कृत्यों को करना, निष्पादित करना और प्रयोग करना, जो उपर्युक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हों।

(25) <u>उद्देश्यों का निर्वचन</u>

सेन्टर की स्थापना सार्वजनिक लाभ के लिए की गयी है और तद्नुसार ऊपर दिये गये सेन्टर के उद्देश्यों का निर्वचन लागू विधियों के अनुसार ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के अर्थ में किया जायेगा, जिन्हें विधि में सार्वजनिक और धमार्थ प्रकृति का समझा जाता है।

(26) <u>सेन्टर का सबके लिए खुला रहना</u>

26.1 सेन्टर सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, चाहे वे किसी भी प्रजाति, धर्म, मत, जाति, वर्ग, लिंग और देश के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से सम्बन्धित हों। सदस्यों, छात्रों, अध्यापकों और कार्यकर्ताओं को प्रवेश देने या उनकी नियुक्ति करने में या किसी अन्य सन्दर्भ, जो भी हो, में धार्मिक विश्वास या व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई परीक्षा या शर्त अधिरोपित नहीं की जायेगी।

26.2 प्रवेश हेतु विचार के लिए किसी भी रूप में प्रतिव्यक्ति फीस (कैपिटेशन फीस) प्रभारित नहीं की जायेगी।

26.3 विहित की जाने वाली फीस समय-समय पर यथा संशोधित या पुनः अधिनियमित या प्रतिस्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 ("द् यू0जी0सी0 एक्ट") के अधीन विहित विनियमों के अनुसार होगी।

26.4 सेन्टर किसी ऐसे दान को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें ऐसी शर्तें और दायित्व अन्तर्वलित हों, जो सेक्टर के उद्देश्यों से असंगत हों।

(27) <u>प्रवेश</u>

सेन्टर में समान पाठ्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर या तो सेन्टर द्वारा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा/या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सेन्टर द्वारा परिलक्षित या अनुमोदित किसी संस्था/अभिकरण द्वारा संचालित सम्मिलित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

(28) <u>सेन्टर की आय और सम्पत्ति का उपयोग केवल सेन्टर के उद्देश्यों के अनुसरण के लिए किया जायगा।</u>

28.1 सेन्टर निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत है :

28.1.1 अनुदान, दान और अंशदान को नकद के रूप में वस्तु के रूप में या किसी अन्य रूप में प्राप्त करने के लिए, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार, राज्य सरकारों राष्ट्र के भीतर के धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं और उद्योग से प्राप्त होने वाले अनुदान, दान और अंशदान भी हैं।

28.1.2 विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति से विदेशी स्रोतों, जिनमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्य क्रियाकलापों से जुड़े अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं, से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए।

28.1.3 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5-क के अनुसार उपहार, क्रय, विनिमय, पट्टा, भाड़ा या अन्य किसी भी रूप में चल और/या अचल सम्पत्ति का अर्जन करने और सेन्टर के क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकता या सुविधा के अनुसार भवनों और संरचनाओं का विनिर्माण करने, विकास करने, सुधार करने, लाभकर बनाने, फेरबदल करने, उन्हें गिराने या उनकी मरम्मत के लिए।

28.1.4 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5-क के अनुसार सेन्टर के प्रयोजनों के लिए बचनपत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों, बंधपत्रों, वाणिज्यिक पत्रों, ऋण लिखतों और अन्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करने, बनाने और पृष्ठांकित करने, मितिकाटे पर भुगतान करने तथा उनका परक्रामण करने के लिए।

28.1.5 बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, और अन्य विधिक इकाइयों और निगमित निकायों के साथ बैंक खाता (खाते) और अन्य खाते स्थापित करने, खोलने, उनका रखरखाव करने, संचालन करने तथा उन्हें बन्द करने के लिए।

28.1.6 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5-क के अनुसार सेन्टर के धन और निधि को ऐसे जमा खातों, प्रतिभूतियों, लिखतों और निवेश विकल्पों में निवेशित या जमा करने के लिए जैसा शासकीय परिषद समय-समय पर अनुमोदित करे और ऐसी जमा, प्रतिभूतियों, लिखतों और निवेशों का आहरण करने, नकदीकरण करने, अन्तरण करने, विक्रय करने, अन्तर्विनिमय करने या अन्यथा निस्तारण करने के लिए।

28.1.7 सेन्टर की या सेन्टर को न्यस्त निधि या धन का निवेश करने के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन दी गयी अनुज्ञा के अनुसार

ऐसी प्रतिभूतियां ऐसी रीति से खोलने, जैसा कि शासकीय परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय, और ऐसे निवेशों का विक्रय या अंतर्विनिमय करने के लिए।

28.1.8 ऐसे समस्त अन्य कार्य करने के लिए जो उपर्युक्त समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

28.2 सेन्टर की किसी भी प्रकार से प्राप्त की गयी आय और सम्पत्तियों का उपयोग सेन्टर के उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए किया जायगा।

(29) <u>सेन्टर की आय और सम्पत्ति को लाभ या लाभांश के रूप संदत्त या वितरित नहीं किया जायगा</u>

सेन्टर की समस्त आयों, उपार्जनों, चल और अचल आस्तियों और सम्पत्तियों का प्रयोग और उपयोग अनन्य रूप से संगम ज्ञापन में दिये गये उद्देश्यों के सम्प्रवर्तन के लिए ही किया जाएगा। सेन्टर की आय और सम्पत्ति का कोई भी भाग ऐसे व्यक्तियों को जो सेन्टर के सदस्य हों या सदस्य रहे हों या उनमें से किसी को लाभ या लाभांश के रूप में या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त या वितरित नहीं किया जाएगा ;परन्तु यह कि इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात उसके किसी सदस्य को या अन्य व्यक्तियों को पारिश्रमिक के सद्भावपूर्वक संदाय करने से या सेन्टर को या सेन्टर के निमित्त अर्पित की गई किसी सेवा के बदले में किसी प्रकार का लाभ प्रदान करने से या यात्रा करने, ठहरने या तत्समान नहीं करेगी। सेन्टर का कोई सदस्य सेन्टर के किन्हीं आस्तियों, सम्पत्तियों, आय या प्राप्तियों में सेन्टर का सदस्य होने के आधार पर कोई अधिकार, हित या दावा नहीं रखेगा और न ही लाभ प्राप्त करेगा।

(30) <u>पुनर्विलोकन और निरीक्षण</u>

30.1 सरकार को सेन्टर, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, परीक्षाओं, अध्यापन और सेन्टर द्वारा संचालित या कृत अन्य कार्यों का निरीक्षण करवाने और सेन्टर के किसी मामले के सम्बन्ध में कोई जांच करवाने, यदि सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए, का अधिकार होगा।

30.2 निरीक्षण के पश्चात्, सरकार सेन्टर को निर्देश जारी कर सकती है, जो सेन्टर के लिए आबद्धकर होगा।

(31) <u>सेन्टर का प्रबंध</u>

सेन्टर का प्रबंध शासकीय परिषद में निहित होगा। शासकीय परिषद के प्रथम सदस्यों में संगम ज्ञापन के ऐसे हस्ताक्षरकर्ता समाविष्ट होंगे जिनके नाम, और पते नीचे खण्ड 13 में दिए गए हैं। सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक सोसाइटी के रूप में सेन्टर का पंजीकरण होने के दिनांक से 06 माह के भीतर शासकीय परिषद का पुनर्गठन सेन्टर की नियमावली के अनुसार किया जाएगा।

(32) <u>आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना</u>

सेन्टर या सेन्टर के किसी प्राधिकरण या किसी अन्य समिति के सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) के मध्य आकस्मिक रिक्तियां उस व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा यथाशीघ्र सुविधानुसार भरी जायेंगी, जिसने उस सदस्य को नियुक्त या सहयोजित किया हो, जिसका स्थान रिक्त हो

गया है। इस नियमावली में अन्तर्विष्ट उपबन्ध आकस्मिक रिक्तियों के भरे जाने के सम्बन्ध में लागू होंगे। इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी आकस्मिक रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति उस सदस्य की अवशेष अवधि तक पद धारण करेगा, जिसका पद रिक्त हो गया है।

(33) <u>उपविधियां</u>

संगम ज्ञापन और नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासकीय परिषद के पास, उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, ऐसी उपविधियां (द "बाईलॉज") बनाने की शक्ति होगी, जो सेन्टर के आंतरिक प्रबंध और सुचारू कार्यान्वयन और उससे आनुषंगिक समस्त मामलों के लिए आवश्यक हो। उपविधियों की विरचना करने में शासकीय परिषद सरकार द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों या आदेशों का पालन करेगी।

उपविधियों में विचार किए जा सकने वाले मामलों, जो सीमित नहीं हैं, के अन्तर्गत, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

समितियों की स्थापना, समितियों का गठन, समितियों की सदस्यता, समितियों की बैठकों के आयोजन और संचालन को शासित करने वाले नियम, समितियों की बैठक के लिए गणपूर्ति और उससे सम्बन्धित समस्त मामले ;

अध्यापन विभागों और आवास हालों की स्थापना ;

सेन्टर में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;

सेन्टर की समस्त उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(क) शैक्षणिक पुरस्कार (यथा उपाधियां और डिप्लोमा) और सम्मान प्रदान करना ;

(ख) सेन्टर में पाठ्यक्रम के लिए और सेन्टर में और सेन्टर की परीक्षाओं, उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के लिए प्रवेश हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस और अन्य प्रभार ;

(ग) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों की संस्थापना और उनको प्रदान करने की शर्तों का निर्धारण ;

(घ) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की नियुक्ति और उनके परिणामों का अनुमोदन और प्रकाशन ;

(ड.) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखना ;

(च) सेन्टर के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना ;

(छ) सेन्टर के छात्रों के आवास और स्वास्थ्य की दशा ;

(ज) सेन्टर के अध्यापन कर्मचारिवृन्द और कर्मचारियों का वर्गीकरण, परिलब्धियां, नियुक्ति की पद्धति और सेवा की शर्तों और निबंधन का अवधारण ;

(झ) सेन्टर के अधिकारियों, अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द और कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य, उपदान, अधिवार्षिकी और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की निधियों की स्थापना ;

(ञ) विशेष केन्द्रों की स्थापना ;

(ट) किसी समिति या उपसमिति की नियुक्ति, ऐसी समितियों का गठन तथा ऐसी समितियों को शक्तियों और प्राधिकारों का प्रत्यायोजन ;

(ठ) बजट प्राक्कलनों की तैयारी और उनका प्रस्तुतीकरण ;

(ड) समितियों और उपसमितियों की बैठकों के आयोजन और संचालन और ऐसी समितियों के कार्य के संचालन को शासित करने वाले नियम और विनियम ; (86)

(ढ) सेन्टर के प्राधिकरण के रूप में किसी अन्य निकाय का गठन करना ;

(ण) समस्त अन्य मामले, जिनके लिए इस ज्ञापन या नियमावली द्वारा उपविधियों में प्राविधान किया जाए ;

परन्तु यह कि विद्यापरिषद के परामर्श के बिना कोई ऐसी उपविधियां नहीं बनाई जाएंगी जिनका छात्रों के आवास, स्वास्थ्य या अनुशासन की स्थितियों, छात्रों के प्रवेश या नामांकन, परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों, ढंग या उनके कर्तव्य, या किसी पाठ्यक्रम की परीक्षाओं के संचालन या मानक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(34) <u>निर्वचन खण्ड</u>

संगम ज्ञापन या नियमावली या उपविधियों के निर्वचन के सम्बन्ध में मतों में विरोध होने की दशा में सरकार का मत अन्तिम होगा।

(35) <u>सेन्टर की आय और सम्पत्ति का उपयोग केवल उसके उद्देश्यों के लिए किया जाना</u>

सेन्टर की किसी भी प्रकार से प्राप्त आय और सम्पत्ति का उपयोग अनन्य रूप से संगम ज्ञापन में दिये गये सेन्टर के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए ही किया जाएगा।

सरकार के पूर्व अनुमोदन से विदेशी स्रोतों, जिनके अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्य क्रियाकलापों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं, से आर्थिक सहायता प्राप्त करना ;

भारत सरकार, राज्य सरकारों या देश में स्थित धमार्थ न्यास/संस्थानों और उद्योग से अनुदानों, दानों तथा अंशदानों को नकद या अन्य रूप में प्राप्त करना।

(36) <u>लाभस्वरूप सेन्टर की आय तथा सम्पत्ति के संदाय या स्थानान्तरण पर रोक</u>

सेन्टर की आय तथा सम्पत्ति का कोई भी भाग उन व्यक्तियों को जो किसी समय सेन्टर के सदस्य थे या हैं, या उनमें से किसी को भी लाभस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश, बोनस या अन्य किसी भी प्रकार से संदत्त या हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा ; परन्तु यह कि इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को, सेन्टर को अर्पित किसी सेवा के लिए प्रतिफल के रूप में सद्भावपूर्वक पारिश्रमिक के भुगतान से या यात्रा अथवा अन्य भत्तों और ऐसे अन्य प्रभारों के लिए भुगतान करने से निवारित नहीं करेगी।

(37) <u>सेन्टर के विघटन पर आय और सम्पत्ति का समायोजन</u>

सेन्टर के परिसमापन या विघटन होने के पश्चात् इसके समस्त ऋणों और दायित्वों का समाधान करने के पश्चात्, जो कुछ भी सम्पत्ति शेष रहेगी, वह सेन्टर के सदस्यों के बीच में या उनमें से किसी को संदत्त या वितरित नहीं की जायेगी, बल्कि सेन्टर को या दूसरे निकायों को ऐसे सम्बन्धित अभिकरणों के परामर्श से, जिन्होंने इन आस्तियों के सृजन में सहायता की हो, हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

(38) <u>विधिक कार्यवाही</u>

38.1 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा-6 के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति, जिसके नाम से सेन्टर वाद चला सकता है या उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारी होगा।

38.2 संगम ज्ञापन या नियमावली के किसी अनुच्छेद या तदधीन बनायी गयी उपविधियों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्थित या आशयित किसी कार्य के सम्बन्ध में सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सेन्टर या सेन्टर के किसी अधिकारी या सेन्टर के किसी प्राधिकरण के सदस्य के विरूद्ध न कोई वाद चलाया जायेगा अथवा न कोई विधिक कार्यवाही की जाएगी।

(39) नियमावली में परिवर्तन, संशोधन तथा संवर्धन

सेन्टर की नियमावली या उपविधियों को तत्समय यथाप्रवृत्त सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के उपबन्धों के अनुसार शासकीय परिषद द्वारा परिवर्तित, संशोधित या संवर्धित किया जा सकता है ; परन्तु यह कि सेन्टर की नियमावली में इस प्रकार का कोई परिवर्तन, संशोधन और संवर्धन उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(40) निधियां लेखें, लेखा परीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

40.1 सेन्टर की निधि का उपयोग अनन्य रूप से सेन्टर के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

40.2 सेन्टर का लेखा सेन्टर के नाम से रखा जाएगा और न कि किसी विशेष न्यास या सोसाइटी के नाम से, चाहे वह सेन्टर का वित्तपोषण या उसे प्रायोजित कर रही हो या नहीं कर रही हो। सेन्टर का लेखा ऐसे प्रपत्रों में रखा जाएगा जैसा शासकीय परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए और वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विहित नियमों, यदि कोई हो, के अनुरूप होगा। सेन्टर का लेखा भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा भी परीक्षण किए जाने के लिए खुला रहेगा।

40.3 सेन्टर से सम्बन्धित या शासकीय परिषद के नियंत्रणाधीन समस्त निधियों को सेन्टर के लेखा में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

40.4 वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ (09) माह के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(41) सेन्टर द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख

कार्यवाही-पंजी, स्टॉक रजिस्टर, रोकड़ बही, खाता-बही आदि जैसे अभिलेखों को सेन्टर द्वारा परिरक्षित रखा जाएगा और प्रतिवर्ष उनकी ठीक प्रकार से लेखा परीक्षा की जाएगी।

(42) लेखा और लेखा परीक्षा

सेन्टर के लेखाओं की लेखा परीक्षा किसी ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा जो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हो या चार्टर्ड एकाउंटेंटों की किसी फर्म द्वारा की जाएगी। लेखा परीक्षक की नियुक्ति शासकीय परिषद द्वारा की जाएगी। लागू की जाने वाली लेखा परीक्षा की प्रकृति और लेखा के प्रारूप और उनके अनुरक्षण और लेखा परीक्षा के लिए लेखा के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यापक व्यवस्था को शासकीय परिषद द्वारा बनायी जाने वाली और सरकार द्वारा अनुमोदित की जाने वाली उपविधियों द्वारा विहित किया जाएगा।

(43) वार्षिक प्रतिवेदन

सेन्टर की कार्यप्रक्रिया और वर्ष के दौरान सम्पादित किये गये समस्त कार्यों का एक वार्षिक प्रतिवेदन शासकीय परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा। वार्षिक प्रतिवेदन और साथ में

सेन्टर के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा को सेन्टर के साधारण निकाय की वार्षिक साधारण बैठक में उसके अंगीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात्, वार्षिक प्रतिवेदन और साथ में लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(44) <u>कतिपय नियमों का बना रहना</u>

इस नियमावली के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त परिनियमावलियाँ, विनियमावलियाँ और नियमावलियाँ, ऐसे अनुकूलनों या उपान्तरों के अधीन रहते हुए जैसा निदेशक द्वारा शासकीय परिषद के अनुमोदन से उनमें किये जायें और जहां तक वे इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत न हों, इस नियमावली के उपयुक्त उपबन्धों के अधीन बनायी गयी परिनियमावलियाँ, विनियमावलियाँ और नियमावलियाँ समझी जाएंगी।

(45) <u>ज्ञापन और नियमावली का संशोधन</u>

ज्ञापन और नियमावली में कोई संशोधन अधिनियम के प्रयोज्य उपबन्धों के अनुसार और सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(46) <u>सेन्टर का विघटन</u>

यदि सेन्टर को विघटित करने की आवश्यकता हो तो उसका विघटन सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा-13 और 14 के अनुरूप सेन्टर पर लागू अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेन्स की संशोधित नियमावली की शुद्ध प्रति है।

-:-:-:-:-:-